पशुपालकों में गोधन न्याय योजना को लेकर दिखा उत्साह

भिलाई नगर। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को लेकर भिलाई निगम क्षेत्र के पशुपालकों में काफी उत्साह है। 15 दिनों में गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या 38 से बढ़कर तीन गुनी हो गई है। निगम क्षेत्र के पशुपालक गोधन न्याय योजना से पंजीयन के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं। अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। 31 जुलाई तक निगम में पंजीकृत पशुपालकों की संख्या 38 थी। जो बढ़कर अब 157 हो गई है। पंजीकृत इन हितग्राहियों ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 15 अगस्त तक शहरी गौठान और विभिन्न जोन क्षेत्र के एसएलआरएम सेंटर में 2,53,201 किलोग्राम गोबर विक्रय कर चुके हैं। निगम प्रशासन की समन्वय समिति ने 20 अगस्त को बैंक खाते के माध्यम से पंजीकृत हितग्राहियों को 5,06 402 रुपए भुगतान किया। इससे पहले निगम प्रशासन की समन्वय समिति ने 38 हितग्राहियों को 89934 रुपए भुगतान किया था। निगम प्रशासन ने शासन के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 15 अगस्त तक गोबर विक्रय करने वाले हितग्राहियों को भुगतान किया है। जोन क्रमांक 1 अंतर्गत संचालित शहरी गौठान कोसा नगर में 62 हितग्राही पंजीकृत है। पंजीकृत हितग्राहियों ने 1,49, 419 किलो गोबर विक्रय किया। विक्रय करने वाले सभी हितग्राहियों के बैंक खाते के माध्यम भुगतान किया गया। इसी प्रकार जोन 2 वैशाली नगर में 25 हितग्राहियों ने 21,970 किलोग्राम गोबर बेचा। जिसका 43940 रुपए भुगतान किया गया। जोन क्रमांक 3 मदर टेरेसा में 10 हितग्राहियों ने 1,6204 किलोग्राम गोबर का 32,408 रुपए प्राप्त किया, जोन क्रमांक 4 के पंजीकृत 60 हितग्राहियों से समिति ने 65608 किलो गोबर क्रय किया था। जिसका 1,31,216 रुपए भुगतान किया गया। पहले चरण में निगम की समन्वय समिति ने 38 हितग्राहियों से 27 जुलाई से 1 अगस्त तक 44967 किलोग्राम गोबर खरीदी किया था। जिसका 89934 रुपए भुगतान किया गया था। गोबर खरीदी के साथ ही वर्मी कंपोस्ट टैंक बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है एवं कई स्थलों पर निर्माण पूर्णता की ओर है!